अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्रांक 3116 / 14-1 दिनांक, कानपुर देहात, 13.04.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक / नोडल अधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कानपुर नगर।

विषयः— पुखरायाँ—घाटमपुर—बिन्दकी मार्ग (एस0एच0—46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में कि0मी0 0 से 21 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर में कि0मी0 22 से 54 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन व फतेहपुर में कि0मी0 55 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 6745 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :— 1—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) की पत्र सं0—8बी / यू0पी0 / 06 / 44 / 2017 / एफ0सी0 / 48 दिनांक 20.06.2018।
2—इस कार्यालय का पत्रांक 1339 / 14—1 दिनांक 31.10.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि ऑनलाइन प्रस्ताव सं0—FP/UP/ROAD/17826/2016 के विषयक प्रस्ताव के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के सन्दर्भित पत्र क्रमांक—1 द्वारा निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र क्रमांक—2 द्वारा आपको प्रेषित की गयी थी। उक्त प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति अभी तक अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को अपने स्तर से पत्र लिखने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक 3116 / अ समदिनांकित

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्रांक 1339 / 14-1 दिनांक, कानपुर देहात, 31-10- 2018

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
कानपुर नगर।

:- पुखरायाँ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में कि0मी0 0 से 21 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षों के पातन, कानपुर नगर में कि0मी0 22 से 54 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षों के पातन व फतेहपुर में कि0मी0 55 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 6745 वृक्षों के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उसपर अव्यवस्थित 11658 वृक्षों के पातन की अनुमति।

र्भ :- 1–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं0–8B/UP/06/44/2017/FC/48 दिनॉक 20.04.2018।

2–महाप्रबन्धक, (तकनीकि), उ0प्र0, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ का पत्रांक 612/प्रावि/18 (वन–46)/2018–19/उपशा/ लखनऊ दिनॉक 29.06.2018।

दय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में क विभाग ने अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की है :–

DITIONS No	OBSERVATIONS	Status of Complience
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवन वनभूमि (75.5235X2 = 151.047 ha.) अर्थात 151.785 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि (75.5235X2 = 151.047 ha.) अर्थात 151.785 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (संलग्नक–1 के अनुसार) को Online Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSCCORP0000371, A/c No. 150906117826581 में R.T.G.S. U.T.R. No. BARBH1814345486 के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा विभूमि खण्ड शाखा गोमती नगर लखनऊ में दिनॉक 23.05.2018 को जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्नक है (संलग्नक–2 03 प्रति में)।
2 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2(क) के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु आवश्यक धनराशि (संलग्नक–1 के अनुसार) को Online Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSCCORP0000371, A/c No. 150906117826581 में R.T.G.S. U.T.R. No. BARBH1814345486 के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा विभूमि खण्ड शाखा गोमती नगर लखनऊ में दिनॉक 23.05.2018 को जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्नक है (संलग्नक–2 03 प्रति में)।
(ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	शर्त संख्या–2 (ख) के अनुपालन में जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित है। (संलग्नक–3, तीन प्रति में)

(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-2(ग) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा "यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी" के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा तीन प्रति) प्रेषित है।
3	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन हेतु मांगी गयी आवश्यक धनराशि का ड्राफ्ट रू0 350000/- अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो गया है। संलग्नक तीन प्रति में।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कि आई0आर0सी0 के मानके के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेन्ट्रल ज़ोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थनापत्र सं0-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम् राजस्थान सरकार में दिनॉक 16.11.2015 में दिये गये आदेश अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा-निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में "प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा-निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा" के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा तीन प्रति) प्रेषित है। (संलग्नक-5)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर पूर्व में ही प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में "प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी" के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रेषित है। (संलग्नक-6)
7	सैद्धान्तिक स्वीकृत अनुपालना प्रेषित करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	शर्त सं0-7 के अनुपापन में प्रमाण पत्र 03 प्रतियों में सलग्न है।
8	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0 (pt.) दिनॉक 28.06.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0 वन्यजीव संरक्षण योजना, बीन औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वनभूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र-11-306/2014-एफ0सी0 (pt.) दिनॉक 28.06.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0 धनराशि (संलग्नक-1 एवं 1(क) के अनुसार) कैम्पा एवं इस कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अतः विषयक प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किये जाने हेतु याचक विभाग के पक्ष में कार्यादेश अलग से जारी किया जा रहा है।
	उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकारी के कार्यालय पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनॉक 02.02.2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।	उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/ 1227 दिनॉक 02.02.2016 के अनुसार ही प्रेषित है।
	CA amount as per proposal	28846100.00
	CA amount diposed	28846100.00
	Difference in amount	

Email-dfokd-up@nic.in

	Reason for difference	
	NPV as per proposal	16566693.00
	NPV as per diposed	16566693.00
	Difference in amount	
	Reason for difference	
	Any other amount deposited (Completed detail be provided)	
	CAMPA conformation	

भवदीय

(डा० एल०के० गिरि)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

ांक 1339 / समदिनांकित

ालिपिः–मुख्य वन संरक्षक, कानपर मण्डल कानपुर को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु त।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

Email-dfokd-up@nic.in

358

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

चतुर्थ तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

पत्रांकः 612 /प्रप्रवि– 18 (वन-46) 2018–19 / उपशा / लखनऊ दि0: 29.06.2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कानपुर देहात, कानपुर नगर एंव फतेहपुर।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/17826/2016

विषयः पुखराया–घाटमपुर बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षो के पातन कानपुर नगर में किमी0 22.00 से 54.00 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षो के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गेर वानिकी प्रयोग व 7643 वृक्षो के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षो के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः–

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केपत्र संख्या–**8B/UP/06/44/2017/FC/48 Dt.20.04.2018**
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात, केपत्र संख्या–**3637/14-1 dt. 16.05.2018**
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर नगर केपत्र संख्या–**3407/14-1 dt. 03.05.2018**
4. प्रभागीय वनाधिकारी, फतेहपुर के पत्र संख्या–**3735/27-4 dt. 09.05.2018**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद **कानपुर देहात, कानपुर नगरएंव फतेहपुर** की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के आधीन सैद्यान्तिक स्वीकृति भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। आपके द्वारा प्रेषित सन्दर्भित पत्र(2,3,4) में दर्शायी धनराशि को तदनुसार E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) एवं स्वीकृति में उल्लिखित विभिन्न शर्तो/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभिलेखों सहित 4 प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित है।

S.No.	OBSERVATIONS/CONDITIONS	REPLY
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (75.5235X2=151.047 ha.) अर्थात 151.785 हे0 पर	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (75.5235X2= 151.047 ha.) अर्थात 151.785 हे0 पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि

Sd/- 29/6/18
शिवकुमार अवधिया
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ

	वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाऐगी।	(संलग्नक–1 के अनुसार) को On Line Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSCCORP0000371, A/c No. 150906117826581 में R.T.G.S. U.T.R. No. BARBH1814345486 के माध्यम से बैंक ऑफ बडौदा विभूति खण्ड शाखा गोमती नगर लखनऊ, में दिनांक 23.05.2018 को जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
2. (क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय के रिट पिटीशन (रिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुध्द वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–2.(क) के अनुपालन में शुध्द वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु आवश्यक धनराशि (संलग्नक–1 के अनुसार)को On Line Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSCCORP0000371, A/c No. 150906117826581 में R.T.G.S. U.T.R. No. BARBH1814345486 के माध्यम से बैंक ऑफ बडौदा विभूति खण्ड शाखा गोमती नगर लखनऊ, में दिनांक 23.05.2018 को जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
(ख)	इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैध्दान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेशित की जाऐ तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त संख्या–2.(ख) के अनुपालन मेंजमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैध्दान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेशित है।**(संलग्नक–3)**
(ग)	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबध्दता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–2.(ग) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा "यदि एन.पी.वी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी"के सम्बन्ध में वचनबध्दता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रेशित है। **(संलग्नक–4)**
3.	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमाकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एंव देशान्तर भी मानचित्र एंव पीलर पर दर्शाया जायेगा	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमाकन हेतु मांगी गयी आवश्यक धनराशि का ड्राफ्ट (संलग्नक–1 (क) के अनुसार)प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित है। (संलग्नक–1 (क))

S— 23/6/18

शिव कुमार अग्रवाल
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।

	और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एंव पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबध्दता पत्र प्रस्तुत कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बैंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या– 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सडक के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में"प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सडक के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा" के सम्बन्ध मेंवचनबध्दता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रेशित है।**(संलग्नक–5)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेशित की जायेगी	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वाराप्रतिहस्ताक्षरित करपूर्व में ही प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविश्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में" प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी" के सम्बन्ध में वचनबध्दता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रेशित है।(संलग्नक–6)
7.	सैध्दानिक स्वीकृति अनुपालना प्रेशित करते हुऐ संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विशय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे	शर्त संख्या–7 के अनुपालन आपकेस्तर सेकार्यवाही आपेक्षित है।
8.	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक–28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैध्दान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैध्दान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0,	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक–28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैध्दान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैध्दान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुपालनार्थ अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0, धनराशि (संलग्नक–1एंव1 (क) के

शिव कुमार अवधिया
महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ

	वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने ओषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एंव अन्य मद में जमा होने वाली धनराशी कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एंव गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षो का पातन एंव कार्य आरम्भ किया जा सकता हैं।	अनुसार) कैम्पा एंव आप के कार्यालय में जमा कर दिया गया है।अतः विषयक प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षो का पातन एंव कार्य आरम्भकिये जाने हेतु कार्यवाही आपेक्षित है।
	उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एंव बिन्दुवार सुस्पश्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र–II/FC/ROC/95-2011/ Part-V/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।	उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एंव बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार के पत्र–II/FC/ROC/95- 2011/ Part-V/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के अनुसार ही प्रेशित है।

भवदीय

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

Sh 25/6/18
o/c **(शिव कुमार अवधिया)**
महाप्रबन्धक(तकनीकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अतिरिक्त वन महानिर्देशक एफ.सी. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन , जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्सू0) पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003
3. वन संरक्षक{केन्द्रीय}पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार
4. नोडल अधिकारी एंव मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण) वन विभाग, 17 राणा प्रताम मार्ग लखनऊ।
5. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर जोन, कानपुर।

Sh 25/6/18
o/c महाप्रबन्धक(तकनीकी)

Enclosure - I

Detail of Amount to be deposited to Campa Fund of MoEF&CC in the lieu of Stage 1st approval for diversion of 75.5235 ha protected forest land in District Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Fatehpur and felling of 11,658 number of trees from km 0.000 to km 82.220 (SH-46) Pukhrayan-Ghatampur-Bindiki Road.

Disrict / Forest Division	Km. Chainage	Forest Area for Diversion	No. of Hurdle Trees	NPV Amount	Compansatory Afforestation Amount	Total Amount in INR	DFO Letter No. & Date
Kanpur Dehat	00.000 - 21.000	20.631	2026	16566693.00	28846100.00	45412793.00	3637/14-1 dt. 16.05.2018
Kanpur Nagar	22.000 - 54.000	29.586	2889	23757558.00	27087362.00	50844920.00	3407/14-1 dt. 03.05.2018
Fatehpur	54.000 - 82.220	25.3065	6743	20321120.00	7938500.00	28259620.00	3735/27-4 dt. 09.05.2018
	Total	**75.5235**	**11658**	**60645371.00**	**63871962.00**	**124517333.00**	

Sd/- 29/6/18
शिव कुमार अवधिया

महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

55

संलग्नक–1 (क)

(354)

Detail of Amount to be deposited to DFO in the lieu of Stage 1st approval condition no. 03, for diversion of 75.5235ha. protected forest land in District Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Fatehpur and felling of 11,658 number of trees fromkm 0.000 to km 82.220 (SH-46) Pukhrayan-Ghatampur-Bindiki Road.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

आर.के.यू. मंडी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) (6194)
RKU Mandiparishad, Gomti Nagar, LUCKNOW (UP) - 226010

केवल तीन माह के लिए वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY
1 4 0 6 2 0 1
D D M M Y Y Y Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY PRABHAGEEYA VANADHIKARI KANPUR DEHAT VAN PRABHAG. KANPUR DEHAT या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES ** Three Lakh Fifty Thousand only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें FOR VALUE RECEIVED ₹ **3,50,000.00**

ULB 423322

शाखा क्रमांक Branch Serial No. 0005/2018

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(NOT OVER Rs.350000/-)

अदाकर्ता शाखा एवं वि.सं. Drawee Branch with D.No. D.No. 1977 - FINACLE - RCC KANPUR FINACLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं. AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं. AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No. 3384

9 8 7 6 5 4 3 2 1

⑈423322⑈ 000024000⑆ 16

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

आर.के.यू. मंडी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) (6194)
RKU Mandiparishad, Gomti Nagar, LUCKNOW (UP) - 226010

केवल तीन माह के लिए वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY
1 4 0 6 2 0 1
D D M M Y Y Y Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY PRABHAGEEYA NIDESHAK, SAMAJIK VANIKI VAN PRABHAG. KANPUR या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES ** Five Lakh only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें FOR VALUE RECEIVED ₹ **5,00,000.00**

ULB 423323

शाखा क्रमांक Branch Serial No. 0006/2018

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(NOT OVER Rs.500000/-)

अदाकर्ता शाखा एवं वि.सं. Drawee Branch with D.No. D.No. 1977 - FINACLE - RCC KANPUR FINACLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं. AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं. AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No. 3384

9 8 7 6 5 4 3 2 1

⑈423323⑈ 000024000⑆ 16

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

आर.के.यू. मंडी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) (6194)
RKU Mandiparishad, Gomti Nagar, LUCKNOW (UP) - 226010

केवल तीन माह के लिए वैध VALID FOR THREE MONTHS ONLY
1 4 0 6 2 0 1
D D M M Y Y Y Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY PRABHAGEEYA NIDESHAK. SAMAJIK VANIKI VAN EV AM VANYAJEEV PRABHAAG. FATEHPUR या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES ** Two Lakh only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें FOR VALUE RECEIVED ₹ **2,00,000.00**

ULB 423324

शाखा क्रमांक Branch Serial No. 0001/2018

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(NOT OVER Rs.200000/-)

अदाकर्ता शाखा एवं वि.सं. Drawee Branch with D.No. D.No. 0170 - FINACLE - FATEHPUR FINACLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं. AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.सं. AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No. 3384

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Sd/- 25/1/18

महा प्रबन्धक (तकनीकी) उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

⑈423324⑈ 000024000⑆ 16

Enclosure - 2

(353)

6/17/2018

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-05-2018

Agency Name.	UTTAR PRADESH STATE HIGHWAY AUTHORITY LUCKNOW
Application No.	6117826581
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/44/2017
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	UTTAR PRADESH STATE HIGHWAYS AUTHORITY, FOURTH FLOLucknow
Amount(in Rs)	124517333/-

Amount in Words :Twelve Crore Forty-Five Lakh Seventeen Thousand Three Hundred and Thirty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150906117826581 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 .

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies n
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

http://forestsclearance.nic.in/UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD178262016581

23/7/18

Sd 25/6/18
शिव कुमार अवस्थी

महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

Enclosure- 3

25 Jun 2018 9:06:06 Logout

Online Submission & Monitoring of Environmental, Forest and Wildlife Clearances -A Single Window Clearance System

User Name: [SUNIL]
State: [Uttar Pradesh]
Role : [Applicant]

My Account | My Proposals Environment Clearance | My Proposals Forest Clearance | My Proposals Wildlife Clearance | Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/17826/2016 Widening & strengthening of U.P. State Highway-46, Pukharayan-Ghatampur-Bindiki Road.by U.P. State Highways Authority, Lucknow (U.P.)	ROAD178262016581	6117826581	20 Apr 2018	CA: 63871962/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 60645371/- , NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total : 124517333/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 17 May 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 May 2018 Transaction Date : 23 May 2018	Demand Letter Generated Challan

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact Environment,Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID),NIC,New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Sd- 25/6/18
शिव कुमार मर्वाधिया

महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

(255)

351

संलग्नक–4

वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि पुखराया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षो के पातन कानपुर नगर में किमी0 22.00 से 54.00 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षो के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 7643 वृक्षो के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकीप्रयोग एंव बाधक व उस परअवस्थित 11658 वृक्षो के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–**8B/UP/06/44/2017/FC/48 Dt. 20.04.2018** द्वारा विभिन्न शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्त बिन्दु संख्या- **2(ग)"प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बध्दता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दरमें बढोत्तरी होती है तो बढी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी"** के अनुपालन में वचनबद्वता दी जाती है।

Sd/- 25/6/18
शिव कुमार अवधिया
महा प्रबन्धक (तकनीकी)

350

संलग्नक–5

वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुखराया–घाटमपुर–बिन्दकीमार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षो के पातन कानपुर नगरमें किमी0 22.00 से 54.00 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षो के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 7643 वृक्षो के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षितवनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव बाधक व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षो के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–**8B/UP/06/44/2017/FC/48 Dt. 20.04.2018**द्वारा विभिन्न शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्त बिन्दु संख्या-**4 "प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बध्दता पत्र प्रस्तुत कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुरुप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या– 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वय के व्यय परवन विभाग के दिशा निर्देशन में सडक के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षा रोपण किया जाएगा"** के अनुपालन में वचन बद्वता दी जाती है।

23/6/18

शिव कुमार अवस्थी

महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

(349)

संलग्नक–6

वचन बद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि पुखराया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) के चौड़ीकरण हेतु कानपुर देहात में किमी0 0.000 से 21.000 तक 20.631 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2026 वृक्षो के पातन कानपुर नगर में किमी0 22.00 से 54.00 तक 29.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 2889 वृक्षो के पातन तथा फतेहपुर में किमी0 55.000 से 82.220 तक 25.3065 हे0 संरक्षित वनभूमि के गेरवानिकी प्रयोग व 7643 वृक्षो के पातन कुल 75.5235 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव बाधक व उस पर अवस्थित 11658 वृक्षो के पातन की अनुमति विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–**8B/UP/06/44/2017/FC/48 Dt. 20.04.2018**द्वारा विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्त बिन्दु संख्या-**6 "प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालनकरेगी"** के अनुपालन में वचनबद्वता दी जाती है।

Sh 29/6/18
शिव कुमार अवधिया

महा प्रबन्धक (तकनीकी)
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पुखरायॉ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एस0एच0–46) ानपुर देहात वन प्रभाग की 20.631 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। भारत र के पत्र सं0–8बी / यू0पी0 / 06 / 44 / 2017 / एफ0सी0 / 48 दि0–20.04.2018 द्वारा ाक स्वीकृत प्रदान की गयी है, जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16-10-2018 को ण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण ायम 1980 का उल्लघंन नही किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात